

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अतिमहत्वपूर्ण
निबंधित प्रेषक,
Mail.

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
सभी मोटरयान निरीक्षक,
सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:- 17/3/2017

विषय:- दूसरे राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय परमिट के बिना प्रतिहस्ताक्षर के परमिट पर आवृतवाहनोंका बिहार राज्य में प्रवेश पर पूर्णतः रोक के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दूसरे राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय परमिट पर एस.टी.सी., बिहार के बिना प्रतिहस्ताक्षर के परमिट पर आवृत वाहनों का बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश पूर्णतः अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिये गये निदेश के आलोक में अंतर्राज्यीय परमितों पर आवृत वाहनों का बिहार राज्य का कर, परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की तिथि से दिये जाने का निदेश है ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाना है कि अंतर्राज्यीय परमितों पर एस.टी.सी., बिहार के बिना प्रतिहस्ताक्षर के वाहन का प्रवेश बिहार राज्य की सीमा में नहीं हो।

अतः निदेश दिया जाता है कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर सघन जाँच की जाए तथा सतत निगरानी रखी जाए। अगर इस प्रकार अवैध परिचालित होता हुआ कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल जब्त कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जाए तथा इसकी सूचना राज्य परिवहन आयुक्त को अविलंब दिया जाय।

चूंकि मामला राजस्व एवं नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अतिमहत्वपूर्ण
निबंधित प्रेषक,
Mail

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
सभी मोटरयान निरीक्षक,
सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:-

विषय:- दूसरे राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय परमिट के बिना प्रतिहस्ताक्षर के परमिट पर आवृतवाहनोंका बिहार राज्य में प्रवेश पर पूर्णतः रोक के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दूसरे राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय परमिट पर एस.टी.सी., बिहार के बिना प्रतिहस्ताक्षर के परमिट पर आवृत वाहनों का बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश पूर्णतः अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिये गये निदेश के आलोक में अंतर्राज्यीय परमिटों पर आवृत वाहनों का बिहार राज्य का कर, परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की तिथि से दिये जाने का निदेश है ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाना है कि अंतर्राज्यीय परमिटों पर एस.टी.सी., बिहार के बिना प्रतिहस्ताक्षर के वाहन का प्रवेश बिहार राज्य की सीमा में नहीं हो।

अतः निदेश दिया जाता है कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर सघन जाँच की जाए तथा सतत निगरानी रखी जाए। अगर इस प्रकार अवैध परिचालित होता हुआ कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसे तत्काल जब्त कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जाए तथा इसकी सूचना राज्य परिवहन आयुक्त को अविलंब दिया जाय।

चूंकि मामला राजस्व एवं नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-

1321

पटना, दिनांक- 17/2017

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना